विनियामक सैंडबॉक्स के लिए सक्षम फ्रेमवर्क
आवेदन पत्र

आवेदन हेतु जांचसूची

विनियामक सैंडबॉक्स के आवेदन के साथ निम्नलिखित सहायक दस्तावेज़ होना आवश्यक है:

1. विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र

2. संस्था के निगमन और पंजीकरण दस्तावेजों की प्रतिलिपि

3. प्रवर्तकों/निदेशकों द्वारा घोषणा तथा वचनबंध और अनुबंध-I, अनुबंध-II में यथा निर्धारित अपेक्षित दस्तावेज

4. मॉडल टेस्ट डिजाइन, जैसाकि अनुबंध III में निर्धारित है

5. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र, यदि उपलब्ध है

6. सांविधिक लेखापरीक्षक से निवल मालियत प्रमाणपत्र

संलग्नकों के साथ, भरा हुआ आवेदन पत्र (अधिकतम आकार 10 एमबी) fintech@rbi.org.in पर मेल द्वारा भेजा जा सकता है

किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण हेतु, आप फिनटेक विभाग, केंद्रीय कार्यालय से 022-22601000 एक्सटेंशन: 2630/2216/2387 पर संपर्क कर सकते हैं।

विनियामक सैंडबॉक्स के लिए सक्षम फ्रेमवर्क

आवेदन पत्र

I.**सामान्य जानकारी**

1.	आवेदक का नाम (संस्था का नाम)	
2.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या अथवा कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन)	
3.	सभी प्रवर्तकों/निदेशकों के पूरे नाम के साथ निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	
4.	प्रमुख प्रबंधकीय संसाधन	
5.	पंजीकृत प्रधान कार्यालय का पता और फोन नंबर	
6.	ईमेल और वेबसाइट यूआरएल (यदि उपलब्ध है)	
7.	i. नोडल/वैकल्पिक संपर्क व्यक्ति का नाम ii. कंपनी/फर्म में पदनाम iii. टेलीफोन नंबर iv. मोबाइल नंबर v. ईमेल पता	
8.	क्या आपका व्यवसाय अथवा कोई संबद्ध व्यवसाय वर्तमान में पंजीकृत/लाइसेंस प्राप्त है? यदि हां, तो कृपया उसका ब्यौरा दें।	
9.	कृपया भारत में अपने कार्यों का स्वरूप और विस्तार का विवरण दें।	
10.	आरएस के अंतर्गत लाइव परीक्षण से जुड़े बैंक/ एनबीएफसी / अन्य भागीदारों का विवरण दें। i. संस्था(ओं) के नाम ii. सैंडबॉक्स प्रक्रिया के लिए नामित मुख्य व्यक्ति का संपर्क विवरण iii. उनकी भूमिका का वर्णन	

	iv. सैंडबॉक्स प्रक्रिया में उनके उत्तरदायित्वों सहित फर्मों के साथ संविदात्मक करारों का विवरण।	
11.	निवल मालियत (लेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र के साथ)। निधि के स्रोत को भी दर्शाया जाए।	
12.	क्या आपकी संस्था किसी बैंक/एनबीएफसी/वित्तीय संस्थान की उधारकर्ता है? यदि हाँ, तो क्या आपकी संस्था को किसी भी बैंक/एनबीएफसी अथवा वित्तीय संस्थान के चूककर्ता के रूप में घोषित किया गया है।	

II. **प्रस्ताव का विवरण**

कृपया लिखित उत्तरों को प्रति प्रश्न 200 शब्दों तक सीमित रखें। सहायक दस्तावेजों द्वारा अतिरिक्त जानकारी दी जा सकती है।

1.	अपने नव परिवर्तनकारी उत्पाद /सेवा/ प्रौद्योगिकी का वर्णन करें। इस आवेदन पत्र के साथ पूरा उत्पाद विवरण संलग्न किया जाए।	
2.	स्पष्ट करें कि आपका प्रस्तावित उत्पाद / सेवा / प्रौद्योगिकी कैसे (i) भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामकीय दायरे में आती है और/या (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है।	
3.	अपने उत्पाद/ सेवा की पेशकश हेतु उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित तकनीक का वर्णन करें। आप एक अलग प्रौद्योगिकी कैसे लागू कर रहे हैं अथवा उसी प्रौद्योगिकी को अधिक सक्षम और प्रभावी तरीके से लागू कर रहे हैं इसका विवरण दें।	
4.	आरएस के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी भी प्रासंगिक पूर्व अनुभव / उपयोग के परीक्षण मामलों सहित अवधारणा के प्रमाण (पीओसी) का साक्ष्य प्रस्तुत करें।	

5.	कृपया बताएं कि आपका उत्पाद / सेवा / प्रौद्योगिकी कैसे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूदा कमी को पूरा करेगा और उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी होगा।	
6.	स्पष्ट करें कि क्या आपका उत्पाद / सेवा / प्रौद्योगिकी i. किसी विनियामकीय बाधा का सामना कर रहा है जिससे बड़े पैमाने पर उसके अभिनियोजन में बाधा आ रही हो। ii. यदि हां, तो उसका विवरण दें।	
7.	यदि आपके उत्पाद/सेवा/प्रौद्योगिकी के संबंध में विनियमन का अभाव है अथवा इससे कोई अंतर-विनियामकीय समस्या है, तो कृपया उसका विवरण दें।	
8.	कृपया स्पष्ट करें कि सैंडबॉक्स में भागीदारी से आपके उत्पाद / सेवा / प्रौद्योगिकी को कैसे लाभ होगा।	
9.	समस्त आरएस प्रक्रिया के लिए उपयोग में लाए जानेवाले आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधकीय संसाधन का विवरण दें।	

III. **परीक्षण प्रारूप**

1.	अपेक्षित समयरेखा और प्रमुख लक्ष्यों के साथ सैंडबॉक्स प्रयोग के परीक्षण परिदृश्यों का विस्तार से वर्णन करें। (एक मॉडल परीक्षण प्रारूप अनुबंध III में दिया गया है)	
2.	परीक्षण प्रक्रिया के अपेक्षित परिणामों को इंगित करें।	
3.	कृपया सैंडबॉक्स में प्रस्तावित सीमाओं को औचित्य के साथ इंगित करें, जैसे: I. परीक्षण आयोजित करने के लिए आवश्यक अवधि II. लक्षित ग्राहक प्रकार III. शामिल ग्राहकों की संख्या पर सीमा IV. लेन-देन की सीमा V. नकद धारण सीमा VI. ग्राहकों के नुकसान की सीमा (कृपया कोई अन्य सीमा शर्तों का उल्लेख करें जो कंपनी/फर्म प्रस्तावित करना चाहती है)	
4.	वर्णन करें कि आप विनियामकीय सैंडबॉक्स से बाहर निकलने के बाद विनियामकीय आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे।	

5.	अनधिकृत पहुंच, परिवर्तन, विनाश, रिकॉर्ड और डेटा के प्रसार और प्रकटीकरण से बचाव के लिए अपने आईटी सिस्टम में उपलब्ध सुरक्षा उपायों का वर्णन करें।	
6.	i. अपने उत्पाद/सेवा/प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रमुख जोखिमों (उपभोक्ताओं और आपके व्यवसाय, दोनों के लिए) और संबंधित जोखिम न्यूनीकरण योजना का वर्णन करें।	
	ii. कृपया देयता की मात्रा को इंगित करें जो इंगित सीमा शर्तों के भीतर परीक्षण के दौरान आप पर हस्तांतरित हो सकती है।	
	iii. वर्णन करें कि आप देनदारियों को कैसे पूरा करेंगे। बीमा (पेशेवर क्षतिपूर्ति / साइबर सुरक्षा त्रुटियों / प्रौद्योगिकी त्रुटियों) का विवरण दें जो आप लेंगे।	
7.	वर्णन करें कि (i) ग्राहक गोपनीयता और डेटा संरक्षण मानदंडों के अनुपालन, तथा (ii) उपभोक्ता के भुगतान डेटा के सुरक्षित भंडारण और पहुंच के लिए, प्रस्तावित उपाय क्या हैं ।	
8.	परीक्षण ग्राहकों से सूचित सहमति (संभावित जोखिमों और उपलब्ध मुआवजे के बारे में) प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तंत्र को इंगित करें ।	
9.	ग्राहकों को किसी भी स्तर पर परीक्षण से हटने की अनुमति देने के लिए की गई व्यवस्था का वर्णन करें।	
10.	अपने परिवर्तनकारी कार्य / निकास रणनीति का वर्णन करें: I. परीक्षण सफल होने की स्थिति में नवाचार को व्यापक बाजार में बढ़ाने की रणनीति। II. यदि आरबीआई के निर्देश या संस्था के स्वयं के अनुरोध के अनुसार परीक्षण बंद करना पड़ता है, तो ग्राहको के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना ।	

IV. **आवेदन प्रस्तुत करना**

i. आवेदन पत्र और आवश्यक सहायक दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक को ईमेल द्वारा fintech@rbi.org.in पर प्रस्तुत किए जाएं।

ii. यह ध्यान रखा जाए कि आवेदन में दी गई जानकारी अपूर्ण होने और स्पष्ट न होने के परिणामस्वरूप आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

iii. जहां आवश्यक हो, वहाँ अतिरिक्त जानकारी और/या दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

V. **आवेदक द्वारा घोषणा**

i. मैं घोषणा करता हूं कि उत्पाद/ सेवा / प्रौद्योगिकी, विनियामकीय सैंडबॉक्स के लिए सक्षम फ्रेमवर्क के पैरा 6.3 में उल्लिखित नकारात्मक सूची में नहीं आती है।

ii. आवेदन पत्र, अनुलग्नक I और II, और अन्य दस्तावेजों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं आरबीआई को सैंडबॉक्स में प्रवेश के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी प्रकार के बदलाव के बारे में पूरी तरह से सूचित करने का वचन देता हूं।

iii. मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि यद्यपि सभी आवेदन सामग्री गोपनीय रहेगी, 'आरबीआई अपनी वेबसाइट पर विनियामकीय सैंडबॉक्स आवेदकों के बारे में किसी भी प्रासंगिक जानकारी को प्रकाशित करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा, इसमें किसी भी स्वामित्व/बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी का खुलासा किए बिना ज्ञान हस्तांतरण और अन्य अंतरराष्ट्रीय नियामक एजेंसियों के साथ सहयोग का प्रयोजन शामिल है' ।

iv. मैं स्वीकार करता हूं कि विनियामकीय सैंडबॉक्स से संबंधित सभी पहलुओं पर आरबीआई का निर्णय अंतिम है और मैं इसका पालन करने के लिए सहमत हूं।

v. मैं घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त नवाचार मूल है और दूसरों की बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम

दिनांक

स्थान

कंपनी की मुहर

अनुबंध I

सैंडबॉक्स संस्थाओं के निदेशक(कों)/प्रमोटर(रों)[1]/ सहयोगी(यों) के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) प्रत्येक प्रमोटर(रों)/निदेशक(कों) के संबंध में प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करेगा कि विनियामकीय सैंडबॉक्स (आरएस) के लिए स्वीकार की जाने वाली सैंडबॉक्स संस्था 'उपयुक्त और उचित' मानदंडों को पूर्ण करती है:

ए. आयकर अधिनियम,1961 के तहत स्थायी खाता संख्या

बी. निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)

सी. ऋण खातों सहित बैंक खाते का विवरण

डी. नियामकों, जिसके तहत संस्था पंजीकृत/लाइसेंस प्राप्त है, से प्राप्त संदर्भ रिपोर्ट

ई. संस्था के प्रत्येक प्रमोटर/निदेशक के संबंध में पैरा सं.2 के तहत सूचीबद्ध अन्य दस्तावेज/ रिपोर्ट

2. उपर्युक्त के अलावा, प्रमोटर (रों)/निदेशक (कों) से संबंधित जानकारी की सम्यक पुष्टि के लिए, संबंधित संस्था अनुलग्नक II में दिए गए मानक प्रारूप में निदेशक (कों)/प्रमोटर (रों) से 'घोषणा और वचनबद्धता' प्राप्त करेगी। इसकी एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक को अग्रेषित की जाएगी।

[1]स्वतंत्र निदेशकों सहित

अनुबंध II

प्रमोटर/निदेशक द्वारा घोषणा और वचनबद्धता

(को यथा उपयुक्त संलग्नकों के साथ)

I		प्रमोटर/निदेशक का वैयक्तिक विवरण	
	ए.	पूरा नाम	
	बी.	जन्म तिथि	
	सी.	शैक्षणिक योग्यता	
	डी.	प्रासंगिक पृष्ठभूमि और अनुभव	
	ई.	स्थायी पता	
	एफ.	वर्तमान पता	
	जी.	ई-मेल पता/टेलीफोन नंबर	
	एच.	आयकर अधिनियम, 1961 के तहत स्थायी खाता संख्या	
	आई.	निदेशक पहचान संख्या	
II	प्रमोटर/निदेशक के प्रासंगिक संबंध		
	ए.	रिश्तेदारों की सूची, यदि कोई हो, जो संस्था से जुड़े हैं (कंपनी अधिनियम1956 की धारा 6 और अनुसूची 1ए देखें)	
	बी.	संस्थाओं की सूची, यदि कोई हो, जिनमें उनके हित हो सकते हैं (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299 (3) (ए) और धारा 300 देखें)।	
	सी.	वर्तमान में उनके द्वारा और/ या ऊपर II (बी) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा बैंक से ली जाने वाली निधि और गैर-निधि सुविधाएं, यदि कोई हों।	
	डी.	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जिनमें निदेशक या ऊपर II (बी) में सूचीबद्ध संस्थाएं संबंधित बैंक या अन्य बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में चूककर्ता हैं या कभी चूककर्ता रही हों।	

III	व्यावसायिक उपलब्धियों के अभिलेख		
	ए.	प्रासंगिक व्यावसायिक उपलब्धियां	
IV		प्रमोटर/निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो,	
	ए.	यदि निदेशक किसी व्यावसायिक संघ/निकाय का सदस्य है, तो उनके विरुद्ध ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि हो, जो लंबित हो या शुरू की गई हो या अतीत में परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई हो जिसके कारण उन्हें किसी समय किसी पेशे / व्यवसाय में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।	
	बी.	अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, जो निदेशक और/या उपरोक्त II (बी) में सूचीबद्ध संस्थाओं में से किसी के विरुद्ध आर्थिक कानूनों और विनियमों का उल्लंघन करने के लिए लंबित या शुरू किया गया हो या अतीत में जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई हो।	
	सी.	निदेशक के विरुद्ध, लंबित या शुरू या अतीत में दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप, आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो ।	
	डी.	क्या निदेशक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के तहत परिकल्पित किसी भी अयोग्यता के दायरे में आते हैं?	
	ई.	क्या निदेशक या उपर्युक्त II (बी) में से कोई भी संस्था सरकारी विभाग या एजेंसी की किसी भी जांच के अधीन है?	
	एफ.	क्या निदेशक को सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा किसी भी समय उनके नियमों/विनियमों/विधायी	

		अपेक्षाओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है? यदि हां, तो ब्यौरा दीजिए।	
	जी.	क्या निदेशक को किसी भी समय आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, एमसीए जैसे नियामक द्वारा प्रतिकूल दृष्टि से देखा गया है।	
		<u>वचनबद्धता</u>	
		मैं पुष्टि करता हूं कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं, संस्था को पूरी तरह से, जितनी जल्दी हो सके, मेरी नियुक्ति के बाद होने वाली घटनाएं, जो ऊपर दी गई जानकारी के लिए प्रासंगिक हैं, सूचित करने का वचन देता हूं।	
		स्थान :	प्रमोटर/ निदेशक के हस्ताक्षर
		तारीख	

अनुबंध III

मॉडल टेस्ट डिजाइन (आवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

आवेदक का नाम:

ए. उत्पाद: (संक्षेप में उत्पाद का वर्णन करें)

बी. उत्पाद का प्रक्रिया प्रवाह:

ग. लाइव परीक्षण के लिए बैंक/एनबीएफसी/अन्य भागीदारों का नाम:

डी. परीक्षण परिदृश्य

क्रम संख्या	**मापदंड**	**विवरण**
1.	यूज़ केस	
2.	स्थान	
3.	लक्ष्य	
	ए. ग्राहकों की संख्या	
	बी. ग्राहक अभिग्रहण और सक्रियता	
	सी. व्यापारियों / सेवा प्रदाताओं की संख्या	
	डी. सक्रिय एजेंटों की संख्या	
4.	प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक	
	ए. प्रति माह लेनदेन की संख्या	
	बी. सफल लेनदेन का प्रतिशत	
	सी. पुनर्मिलान न हुए लेन-देन का प्रतिशत	
	डी. पुनर्मिलान पूरा करने के लिए लगने वाला कुल समय (टीएटी)	
	ई. शिकायतों का प्रतिशत (कुल लेनदेन की तुलना में)	
	एफ. शिकायतों के निवारण के लिए लगने वाला कुल समय (टीएटी)	
	जी. ड्रॉपआउट ग्राहक का प्रतिशत	
	एच. ड्रॉपआउट व्यापारी का प्रतिशत	
	आई. ड्रॉपआउट एजेंट का प्रतिशत	

	जे. ग्राहकों से लक्ष्य रेटिंग	
	के. ग्राहकों से लक्ष्य रेटिंग	
5.	सीमा शर्तें	
	ए. परीक्षण की अवधि	
	बी. परीक्षण की प्रारंभ और अंतिम तारीख	
	सी. लेन-देन की सीमा	
	डी. ग्राहक हानि की सीमा	
6.	जोखिम और उसे कम करने के उपाय	
	ए. डेटा की हानि/समझौता और डेटा गोपनीयता /संग्रहण	
	बी. सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर में तकनीकी समस्या	
	सी. कार्ड का नुकसान/चोरी/दुरुपयोग	
7.	ग्राहक/व्यापारी से स्पष्ट सहमति	
8.	ग्राहकों के लिए निकास तंत्र	
9.	संस्था के लिए निकास रणनीति	
10.	रिपोर्टिंग	
	ए. समयावधि	
	बी. प्रारूप	
	सी. माध्यम	

(उत्पाद /विषय से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी को शामिल किया जा सकता है)